

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi


Chamber,
D.O. No. 09/D.J./2022
Dated: February 15, 2022

Dear Arya,

In the light of certain facts as given in an application dated 14.02.2022 moved by Sri Santosh Kumar Doharey, ADGC (CrL.) deputed in your court, you are requested and advised as well, not to pronounce any judgment in following cases, till further order.

1. S.T. No. 153/2018, State Vs. Sunil Raikwar, U/s. 41, 411, 414 IPC, P.S. Prem Nagar. (Fixed for judgment on 16.02.2022)
2. S.T. No. 134/2014, State Vs. Udai Singh, U/s. 60 Excise Act & 272 IPC, P.S. Prem Nagar. (Fixed for judgment on 18.02.2022)

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

Sri Vimal Prakash Arya,
ADJ/FTC (14th F.C),
Jhansi.

प्रेषक:-

सन्तोष कुमार दोहरे,

सहायक जिला शासकीय अधिकारता (फौजदारी)

पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी

मो0: 9415502206

प्रतिष्ठा में,

सम्माननीया सत्र न्यायाधीश महोदया,

झांसी।

विषय: अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण महत्वपूर्ण सत्र परीक्षणों को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्माननीय महोदया,

निवेदन है कि मैं सन्तोष कुमार दोहरे, सहायक जिला शासकीय अधिकारता (फौजदारी) के पद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के पद पर कार्यरत हूँ। इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके सम्बन्ध में कई अधिकारताओं में उनकी शिकायत महोदया के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में की है। मैंने भी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार की शिकायत महोदया सहित मा0 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 प्रशासनिक न्यायमूर्ति, मा0 विशेष अधिकारी बिजीलेन्स मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित की। श्री विमल प्रकाश आर्या एक भ्रष्ट रिश्ततबाज अधिकारी है, उन्हें जिन सत्र परीक्षणों में लिप्त मिलता है, उन मुकदमों के अभियुक्तों को वह दोषमुक्त कर देते हैं और जिन सत्र परीक्षणों में उन्हें लिप्त नहीं मिलती तो वह पूर्ण रूप से पक्षद्रोही मुकदमों में भी अभियुक्तगण को कठोर सजा से दण्डित करने के आदि हो चुके हैं। उनके न्यायालय से महत्वपूर्ण सत्र परीक्षण वापिस मा0 सत्र न्यायालय या अन्य मा0 अपर सत्र न्यायालयों में भेजा आना न्यायहित में है। उक्त सत्र परीक्षणों की सूची निम्न है:-

क्रमांक	एस0टी0 न0	नाम पक्षकार	धारा	थाना
1-	122/18	राज्य बनाम भूपेन्द्र	457,380,411 आई0पी0सी0	पूछ
2-	123/18	राज्य बनाम भूपेन्द्र	457,380,411 आई0पी0सी0	पूछ
3-	124/18	राज्य बनाम भूपेन्द्र	457,380,411 आई0पी0सी0	पूछ
4-	224/17	राज्य बनाम संजू	304 आई0पी0सी0	पूछ
5-	132/14	राज्य बनाम उदय सिंह	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई0पी0सी0	प्रेमनगर
6-	207/16	हरगोविन्द	308 आई0पी0सी0	लहचूरा
7-	244/17	गगन आदि	302 आई0पी0सी0	टोड़ीफतेहपुर

सन्तोष कुमार दोहरे
A.D.G.C. (Cr.)
न्यायालय A.S.J./FTC-II
झांसी (उ0प्र0)
मो. 9415502206

8-	77/18	यन्त्रेन्द्र सिंह	304बी आईपीओसीओ	बड़ागांव
9-	416/12	ननेज राय आदि	302,201 आईपीओसीओ	बदोना
10-	283/10	मुकेश	307 आईपीओसीओ	प्रेमनगर
11-	284/10	मुकेश	4/25 आर्म्स एक्ट	प्रेमनगर
12-	361/15	महाराज सिंह	307 आईपीओसीओ	एरच
13-	72/19	रुक्सा	60 आबकारी अधिनियम व 272 आईपीओसीओ	प्रेमनगर
14-	18/19	सचिन	4/5 विस्फोरेस्टक अधिनियम	रक्सा
15-	415/12	अयोध्या प्रसाद	60 आबकारी अधिनियम व 272 आईपीओसीओ	मऊरानीपुर
16-	316/17	सुनील कुमार	306 आईपीओसीओ	बड़ागांव
17-	23/19	रवि परिहार	411,414 आईपीओसीओ	प्रेमनगर
18-	226/02	नासिर खान	307 आईपीओसीओ	कोतवाली
19-	154/16	विजय झां आदि	307 आईपीओसीओ	कोतवाली
20-	153/18	सुनील रायकवार	411,413 आईपीओसीओ	प्रेमनगर
21-	34/15	भैय्यन	308 आईपीओसीओ	बरूआसागर
22-	290/19	भूपेन्द्र उर्फ गोकुल	307 आईपीओसीओ	चिरगांव
23-	291/19	भूपेन्द्र उर्फ गोकुल	3/25 आर्म्स एक्ट	चिरगांव
24-	294/19	राघवेन्द्र राजपूत	3/25 आर्म्स एक्ट	चिरगांव
25-	95/18	प्रकाश कुशवाहा	376,354 आईपीओसीओ	चिरगांव
26-	214/13	गंधर्व सिंह	306 आईपीओसीओ	चिरगांव
27-	260/19	कृष्णकान्त	302,352 आईपीओसीओ	लहचूरा
28-	203/18	चन्द्रशेखर	302 आईपीओसीओ	कोतवाली
29-	366/15	प्रदीप	307 आईपीओसीओ	बड़ागांव
30-	226/18	नरेश श्रीवास	302 आईपीओसीओ	मऊरानीपुर
31-	295/19	हरभजन	308 आईपीओसीओ	चिरगांव
32-	173/18	संदीप	363,366 आईपीओसीओ	मऊरानीपुर
33-	138/12	बॉबी भूरिया	302 आईपीओसीओ	नवाबाद
34-	139/12	बॉबी भूरिया	3/25 आर्म्स एक्ट	नवाबाद
35-	152/19	निजाम खॉ	302 आईपीओसीओ	नवाबाद
36-	86/19	बृजेश पाल	307 आईपीओसीओ	नवाबाद
37-	213/17	जगदीश	308 आईपीओसीओ	रक्सा
38-	168/13	मनमोहन	307 आईपीओसीओ	मोंठ
39-	120/18	धीरज कल्लू	376 आईपीओसीओ	नवाबाद
40-	15/19	मोहन कल्लू	302,201 आईपीओसीओ	मोंठ
41-	333/17	हरेन्द्र	304बी आईपीओसीओ	बड़ागांव
42-	54/18	मदन अहिरवार	60 आबकारी अधिनियम व 272 आईपीओसीओ	कटेरा
43-	202/15	लालाराम	302 आईपीओसीओ	बरूआसागर
44-	288/15	जय सिंह आदि	302 आईपीओसीओ	उल्दन
45-	289/15	जय सिंह	25 आर्म्स एक्ट	नवाबाद

सन्तोष कुमार दोहरे
A.D.G.C. (CA)
न्यायालय A.S.J./FIC-II
मौली (2000)

46-	290/15	राजू बाबा	25 आर्म्स	नवाबाद
47-	291/15	रवि	25 आर्म्स	नवाबाद
48-	292/15	बलवीर	25 आर्म्स	नवाबाद
49-	293/15	रंजीत	25 आर्म्स	नवाबाद
50-	103/18	नन्दू उर्फ नन्दकिशोर	307 आई०पी०सी०	गरीडा
51-	104/18	नन्दू उर्फ नन्दकिशोर	25 आर्म्स एकट	गरीडा
52-	99/18	अर्जुन बाल्मीक	304बी आई०पी०सी०	कोतवाली
53-	326/15	रोबिन वर्मा	308 आई०पी०सी०	नवाबाद
54-	290/13	संध्या	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई०पी०सी०	बरूआसागर
55-	90/19	महबूब	306 आई०पी०सी०	बरूआसागर
56-	186/11	छत्रपाल	302,201 आई०पी०सी०	सीपरी बाजार
57-	147/13	मीरा कबूतरी	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई०पी०सी०	बरूआसागर
58-	67/16	हिम्मत बरार	306 आई०पी०सी०	मोंट
59-	297/16	दीपक चौधरी	304बी आई०पी०सी०	महिला थाना
60-	78/19	भालू बलराम	302 आई०पी०सी०	टहरौली

महोदया, उक्त समस्त प्रकरण ब्यान मुल्जिम 313/सफाई साक्ष्य/बहस/निर्णय में नियत है। पीठासीन अधिकारी इन मुकदमों पर निगाह रखे हैं जिनमें पैसे मिल जायेंगे उन्हें छोड़ देंगे जिसमें नहीं मिलेगे उनमें सजा कर देंगे। न्याय व साम्यता के हित में उक्त सत्र परीक्षण अपनी प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर मा० सत्र न्यायालय/अन्य मा० अपर सत्र न्यायालयों में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें। अति कृपा होगी।

भवदीय

(Signature)

सन्तोष कुमार दोहरे,

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-11, झांसी

मो०: 9415502206

सन्तोष कुमार दोहरे

A.D.G.C. (Cr.)

न्यायालय A.S.J./FTC-II

झांसी (उ०प्र०)

मो०-9415502206

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi.

Chamber,
D.O. No. 11/D.J./2022
Dated: February 22, 2022

Dear Shri Arya,

● **Shri Santosh Kumar Dohrey, the then A.D.G.C.(Crl.) deputed in your court has given a list of 60 cases from Serial No. 1 to 60 as shown in the copy of the complaint dated 11.02.2022 annexed herewith.**

● The A.D.G.C. (Crl.), addressing to the administrative side of the authority of the District Judge, has requested for transfer of all the 60 cases which, according to him should be transferred from your court to some other court for administrative reasons in the background of allegations imputed by him against you.

● You are, therefore, requested to furnish following particulars concerning cases depicted from Serial No. 1 to 60 in the complaint concerned.

1. The name of the defence counsel who is/are presently representing the accused persons in all the above cases.

2. The name of the private counsel engaged by the prosecution or the victim or the complainant, if any.

3. The present status of the proceedings.

4. The next date fixed disclosing the purpose for which it has been fixed.

5. The fact whether any order requiring the accused persons to execute bail bonds with sureties for appearance before the higher court as per provisions of Section 437-A Cr.P.C. has been passed? If yes, the date of the order and the date of acceptance bail bonds furnished in compliance of the order.


You are requested to furnish to the undersigned all the above details/particulars, **preferably in a tabular form**, regarding all the Session Trials from Serial No. 1 to 60 as given in the annexed complaint to the undersigned.

Provided that in case any of the above cases listed from Serial No. 1 to 60 has been **fixed for judgment**, a **separate list** depicting their present status alongwith other details as called for in the directions contained above, may be sent to the undersigned by tomorrow i.e. 23.02.2022. However, the other cases in the list which have not been already **fixed for judgment**, a **separate list** with all the particulars may be furnished to the undersigned by 28.02.2022.

You are expected to abide by the time frame fixed by me.

**Enclosure:- Copy of complaint
dated 11.02.2022**

Sincerely yours,


(Jyotsna Sharma)

प्रेषक:-

सन्तोष कुमार दोहरे,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी
मो0: 9415502206

प्रतिष्ठा में,

सम्माननीया सत्र न्यायाधीश महोदया,
झांसी।

जिसके अन्तर्गत सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण
न्यायपूर्ण निर्णय एवं बहस में निम्न पत्रावलियों माननीय सत्र न्यायालय या अन्य अपर सत्र न्यायालय में
नियत दिनांक के सम्बन्ध में।

महोदया,

निवेदन है कि मैं सन्तोष कुमार दोहरे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद न्यायालय अपर
सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के पद पर कार्यरत हूँ। इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश
आर्या पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके सम्बन्ध में कई अधिवक्ताओं में उनकी शिकायत महोदया के अतिरिक्त उच्च
न्यायालय में की है। मैंने भी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार की शिकायत महोदया सहित मा0 रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 प्रशासनिक न्यायमूर्ति, मा0 विशेष अधिकारी बिजीलेन्स मा0 उच्च इलाहाबाद को प्रेषित की। श्री विमल प्रकाश आर्या
एक भ्रष्ट रिश्वतबाज अधिकारी है, उन्हें जिन सत्र परीक्षणों में रिश्वत मिल जाती है, उन मुकदमों के अभियुक्तों को वह
दोषमुक्त कर देते हैं और जिन सत्र परीक्षणों में उन्हें रिश्वत नहीं मिलती तो वह पूर्ण रूप से पक्षद्रोही मुकदमों में भी
अभियुक्तगण को कठोर सजा से दण्डित करने के आदि हो चुके हैं। उनके न्यायालय से महत्वपूर्ण सत्र परीक्षण निर्णय
एवं बहस हेतु नियत पत्रावलियों वापिस मा0 सत्र न्यायालय या अन्य मा0 अपर सत्र न्यायालयों में भेजा आना न्यायहित
में है। उक्त सत्र परीक्षणों की सूची निम्न है:-

क्र0	एस0टी0 न0	नाम पक्षकार	धारा	थाना	नियत दिनांक
1-	153/18	राज्य बनाम सुनील रायकवार	41,411,414 आई0पी0सी0	प्रेमनगर	16.02.2022 निर्णय हेतु
2-	134/14	राज्य बनाम उदय सिंह	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई0पी0सी0	प्रेमनगर	18.02.2022 निर्णय हेतु
3-	153/18	राज्य बनाम सुनील रायकवार	307 आई0पी0सी0	गरौटा	23.02.2022 बहस हेतु
4-	134/14	राज्य बनाम उदय सिंह	3/25 आर्म्स एक्ट	गरौटा	23.02.2022 बहस हेतु
5-	217/16	राज्य बनाम इन्द्रविन्द	308 आई0पी0सी0	लहचूरा	23.02.2022 बहस हेतु
6-	225/02	राज्य बनाम नास्तिर आदि	307 आई0पी0सी0	कोतवाली	23.02.2022 बहस हेतु
7-	216/17	राज्य बनाम संजू आदि	304 आई0पी0सी0	पूँछ	21.02.2022 बहस हेतु
8-	214/13	गन्धर्व सिंह	306 आई0पी0सी0	चिरगांव	22.02.2022 बहस हेतु

महोदया, उक्त प्रकरण निर्णय एवं अंतिम बहस में नियत है। पीठासीन अधिकारी मुकदमों पर निगाह रखे हुये
हैं जिनमें पैसे मिल जायेंगे उन्हें छोड़ देंगे जिसमें नहीं मिलेगे उनमें सजा कर देंगे। न्याय व साम्यता के हित में उक्त
सत्र परीक्षण अपनी प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर मा0 सत्र न्यायालय/अन्य मा0 अपर सत्र न्यायालयों में
स्थानान्तरित करने का कष्ट करें। अति कृपा होगी।

भवदीय

20/02/2022

सन्तोष कुमार दोहरे,

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी

मो0: 9415502206

सन्तोष कुमार दोहरे

A.D.G.C. (CA)

न्यायालय A.S.J./FIC-II

झांसी (उ.प्र.)

8/140

3/16

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi.

Chamber,
D.O. No. 10/D.J./2022
Dated: February 22, 2022

Dear Shri Arya,

* Kindly take reference of my earlier D.O. No. 09/D.J./2022 dated February 15th, 2022 by which you were requested and advised not to pronounce judgment in two cases i.e. (i) S.T. No. 153/2018, State Vs. Sunil Raikwar, U/s. 41, 411, 414 IPC, P.S. Prem Nagar and (ii) S.T. No. 134/2014, State Vs. Udai Singh, U/s. 60 Excise Act & 272 IPC, P.S. Prem Nagar.

* In continuation thereof, I am sending copy of the complaint, by Shri Santosh Kumar Doharey, the then A.D.G.C. (CrI.) deputed in your court, given to the undersigned, addressing the administrative side of the authority of the District Judge. Shri Doharey has given this complaint dated 14.02.2022 containing a list of 8 cases, which according to him are important Session Trials at a very mature stage and which, according to him should be transferred from your court to some other court for administrative reasons in the background of allegations imputed by him against you.


* You are, therefore, requested to furnish following particulars concerning cases depicted from Serial No. 1 to 8 in the complaint concerned.

1. The name of the defence counsel who is/are presently representing the accused persons in all the above cases.
2. The name of the private counsel engaged by the prosecution or the victim or the complainant, if any.
3. The present status of the proceedings.
4. The next date fixed disclosing the purpose for which it has been fixed.
5. The fact whether any order requiring the accused person to execute bail bonds with sureties for appearance before the higher court as per provisions of Section 437-A Cr.P.C. has been passed? If yes the date of the order and the date of acceptance bail bonds furnished in compliance of the order.

You are requested to furnish to the undersigned all the above details/particulars, preferably in a tabular form, regarding all the Session Trials from Serial No. 1 to 8 as given in the annexed complaint to the undersigned latest by tomorrow i.e. 23.02.2022. You are expected not to seek further time.

Enclosure:- Copy of complaint
dated 14.02.2022

Sincerely yours,


(Jyotsna Sharma)

Shri Vimal Prakash Arya,
A.D.J./F.T.C. (14th F.C.)
Jhansi.

3/17 8/141

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय झोंसी।

सत्र परिक्षण सं. 7/2015

सरकार बनाम राजू नाई

अन्तर्गत धारा 307, 120बी आई.पी.सी.

व 7 कि.लॉ.एम्. एक्ट थाना नवावाद झोंसी

अपराध सं. 419/2014

महोदय,

सेवा में विनय है कि प्रार्थी को दि. 12-07-2014 को नामित अभियुक्त असलम शेर महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी झोंसी व उनके दो भाई मो. मसूर, मो. मुस्तकीम व उनके अपराध के सलाहकार शरीफ अहमद उर्फ फरीद अहमद आदि के विरुद्ध प्रार्थी ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी लेकिन चूंकी समाजवादी पार्टी की सरकार उ.प्र. में कायम थी इसलिये मुल्जमानों को बचाने के लिये पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को फँसाने हेतू चार्जशीट दाखिल कर दी और नामित मुल्जमानों को अपराध से निकाल दिया जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

1. यह कि प्रार्थी ने न्यायालय में हाजिर होकर अपने ब्याज दर्ज कराये और नामित मुल्जमानों को ही अपराध कारित करने हेतू अपनी मुख्य परीक्षा दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर. व मुख्य परीक्षा की छायाप्रति हमरिश्ता प्रार्थना पत्र है परन्तु शासकीय अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दोहरे नामित मुल्जमानों से मिले हुये हैं और उन्हें बचाने हेतू प्रयास कर रहे हैं जो ए.डी.जी.सी. फौजदारी का ना केवल अमानवीय कृत्य है बल्कि कदाचरण की परिधि में आता है जबकि वादी के ब्यानों के अनुसार उक्त शासकीय अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दोहरे द्वारा नामित मुल्जमानों को तलब किये जाने का जानबूझकर प्रार्थना पत्र नहीं दिया जो पद के दुरुपयोग की परिधि में आता है।

2. यहकि इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अरविन्द अहिरवार

(2)

एड. अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे के मेली व्यक्ति हैं और शरीफ अहमद नामित मुल्जमानों का खास आदमी है और इसी कम में उल्लेखनीय है कि वादी के ब्यानों में यह स्पष्ट आया है कि घटना को वादी के पुत्र हृदेश ने भी देखा है परन्तु ए.डी.जे.सी. संतोष कुमार दोहरे एफ.आई.आर में नामित मुल्जमानों के खास ब्यक्ति हैं और उनका एक ग्रुप है जो एक-दूसरे के आपराधिक मामले में ब्यान देते हैं इसलिये उक्त संतोष कुमार दोहरे ए.डी.जे.सी. फौजदारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तदानुसार उक्त मुकदमे की कार्यवाही से उन्हें हटाया जाना आवश्यक है तथा उक्त परिक्षण की फाईल किसी अन्य ए.डी.जे.सी. किमिनल को देना आवश्यक है ताकि विधिवत् परिक्षण हो सके।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दोहरे जो प्रथम अपर जिला जज झॉंसी में उक्त सत्र परिक्षण को देख रहे हैं और वह एफ.आई.आर. में नामित मुल्जमानों के खास व्यक्ति हैं इसलिये उक्त मुकदमा श्री रवि गोस्वामी एडवोकेट अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कार्यवाही हेतू नियुक्त किये जाने की कृपा करें ताकि नामित मुल्जमान को उक्त शासकीय अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दोहरे द्वारा कोई लाभ ना पहुँचाया जा सके।

दिनांक 28-08-2019

प्रार्थी

मदन लाल बबेले एडवोकेट

वादी मुकदमा

(3/19)

(8/147)

न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, झांसी।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं०- 68 सन् 2022

- 1- राकेश कुशवाहा पुत्र स्व० दयाराम उम्र लगभग- 48 वर्ष
 - 2- लखन कुशवाहा पुत्र स्व० दयाराम उम्र लगभग- 40 वर्ष
 - 3- श्रीमती गनेशी पत्नी स्व० दयाराम उम्र लगभग- 65 वर्ष
- समस्त निवासीगण- नई बस्ती बरुआसागर थाना-बरुआसागर जिला झांसी।

बनाम्

उत्तर प्रदेश सरकार

अर्न्त० धारा- 4989ए, 306,323,504,506 आई०पी०सी०

व 3/4 डी०पी०एक्ट

थाना- महिला थाना झांसी।

एस०टी०नं०- 165/2013



विवरण पत्रावली

न्यायालय ए०डी०जे०/एफ०टी०सी०(14- एफ०सी०) झांसी।

एस०टी०नं०- 165 सन् 2013

सरकार(सावित्री) बनाम् राकेश कुशवाहा आदि

अ०धारा- 4989ए, 306,323,504,506 आई०पी०सी०

व 3/4 डी०पी०एक्ट

थाना- महिला थाना झांसी।

ता०पेशी- 16/02/2022

अपेक्षा 10/2/22

प्रकार का 5 के एक से एक रजिस्टर है।
नंगद्वार न्यायालय से परा वीर करवा
/ Commute नरुव से वास्तु प्रस्ताव
दिनांक 16/2/22 के पत्र है।

Copy or order forwarded to... ADJ FTC 14th F.C
for information & Necessary Action

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा- 408 जा०फौ० :-

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि उपरोक्त पत्रावली न्यायालय ए०डी०जे० /
एफ०टी०सी०(14-एफ०सी०) झांसी में विचाराधीन है और पत्रावली वास्ते
बहस दिनांक- 16/02/2022 नियत है।

By Order
10/2/22

Sadar Munsarim/Sessions Clerk
Sessions Judge
Jhansi (U.P.)

यह कि उपरोक्त मुकदमें में दिनांक— 08/02/2021 को अभियुक्तगण के 313 सीआर0पी0सी0 के ब्यान अंकित होने के बाद पत्रावली बहस में नियत हुई इसी दौरान उक्त न्यायालय में पदस्थ वर्तमान शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यदि उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण को बरी होना है तो पीठासीन अधिकारी की मांग की पूर्ति करना होगी अन्यथा उक्त मुकदमें में गवाह Hostile होने के बावजूद भी सजा को तैयार रहना उक्त कारण से न्याय मिलने में संदेह पैदा हो गया।

यह कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली से अत्यधिक व्यथित व परेशान है।

यह कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त मुकदमें में उक्त कारण से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।

प्रार्थना

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि न्यायहित में उक्त मुकदमें की पत्रावली स्वयं के न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने किये जाने का आदेश पारित किये जाने की कृपा की जाये। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक:- 09/02/2022

प्रार्थी/अभियुक्तगण



- 1- राकेश कुशवाहा पुत्र स्व0 दयाराम कुशवाहा
 - 2- लखन कुशवाहा पुत्र स्व0 दयाराम कुशवाहा
 - 3- श्रीमती गनेशी बाई पत्नी स्व0 दयाराम कुशवाहा
- समस्त निवासीगण- नई बस्ती बरूआसागर,
थाना-बरूआसागर जिला झांसी।
जरिये अधिवक्ता-

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया,
झाँसी।

विषय:- स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं०- 68/ 2022 (S. T. No- 165/ 13 उ०प्र०
राज्य सरकार बनाम राकेश कुशवाहा आदि) दिनांकित 09. 02. 2022 के
संबंध में आख्या।

महोदया


अवगत कराना है कि अभियुक्तगण अपने स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उक्त पत्रावली में दिनांक 06. 02. 2021 को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये और इस समय पत्रावली बहस के स्तर पर है और वह न्यायालय के कार्य प्रणाली से अत्याधिक व्यस्थित व परेशान है और उसे न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख करना है कि पत्रावली दिनांक 18. 08. 2021 से बहस हेतु नियत है और इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा दिनांक 19. 08. 2021 को प्रार्थनापत्र 142B प्रस्तुत किया जो उसी तिथि पर निस्तारित किया गया। दिनांक 12. 11. 2021 को अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र 159B प्रस्तुत किया जो इसी तिथि पर निस्तारित किया गया और पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

पत्रावली दिनांक 18. 08. 2021 से भिन्न- भिन्न तिथियों पर बहस हेतु नियत होती रही, किन्तु अभियुक्तगण की ओर से कभी न्यायालय की कार्य प्रणाली पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया और न ही कोई स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र इस बावत प्रस्तुत किया गया। उक्त अभियुक्तगण को लगभग 01 वर्ष तक न्यायालय पर विश्वास बना रहा और सिर्फ और सिर्फ श्री सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा भड़काये व उकसाये जाने पर ही उक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित।

भवदीय


11.02.2022
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 11. 02. 2022

8/146

3/22

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

38
ADJ FTL 14/19
P.C.

RECEIVED

Handwritten notes and signatures at the top left.

न्यायालय श्रीमान जिला जज महोदय झांसी

फौजदारी स्थानान्तरण प्रा0प0सं0 82-सन 2022

सन्जू पुत्र स्व0 सुरेश पाल निवासी ग्राम बाबई थाना पूछ जिला झांसी।

--- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिये डी0जी0सी0 क्रिमिनल

प्रार्थनापत्र अं0धारा-408 सी0आर0पी0सी0

श्रीमान जी,

प्रार्थी/अभियुक्त निम्नलिखित निवेदन करते हैं:-

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त का एक वाद न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-11 झांसी एस0टी0 नं0-216/17 राज्य बनाम संजू आदि अं0धारा-304 आई0पी0सी0 थाना पूछ मु0अ0सं0-101/2017 लम्बित है जिसमें दिनांक 28.02.2022 लिखित बहस बचाव पक्ष नियत है।

2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त को उसके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-11 झांसी के न्यायलय में कार्यरत सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे द्वारा बताया गया कि मुझे माननीय न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्या द्वारा आपको सूचना हेतु बताया गया कि अभियुक्तगणों को उपरोक्त प्रकरण में दोषमुक्त होना है तो सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे के माध्यम से 5,00,000/-रु0 दिलवाओ अन्यथा सभी

गवाह पक्षद्रोही होने के बावजूद भी मैं इस मुकदमें में सजा कर दूंगा।



Handwritten signature or initials.

Handwritten notes and dates at the bottom left.

Copy or order forwarded to... for information & Necessary Action

By Order Sadar Munsarim/Sessions Clerk Sessions Judge Jhansi (U.P.)

3/23

8/147

3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को उक्त समस्त तथ्यों से अवगत कराया गया। पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा कही गयी उक्त बात से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के न्यायालय श्रीमान अथवा अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे कि प्रार्थी/अभियुक्त को न्याय मिल सके।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के यहां विचाराधीन प्रकरण एस0टी0 नं0-216/17 राज्य बनाम संजू आदि अं0धारा-304 आई0पी0सी0 थाना पूछ मु0अ0सं0-101/2017 को श्रीमान अथवा अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने की कृपा करें जिससे कि प्रार्थी को न्याय मिल सके।



दिनांक: 22.02.2022

प्रार्थी

संजू

संजू पुत्र स्व0 सुरेश पाल
निवासी ग्राम बाबई थाना पूछ जिला झांसी।

Jalendra Singh
By me

वन्दन आदिम, एडवोकेट
रजि0 नं0-1263/09
एडवोकेट कोड-1093
मो0 नं0-9415194203

3/24

8/148

न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी

स्थानान्तरण प्रा0प0सं0 - 102 सन् 2022

- 1- हरगोविन्द पुत्र मनीराम उम्र करीब 53 वर्ष नि0- ग्राम हेवतपुरा थाना गरीटा जिला झांसी उ0प्र0।
- 2- देवीदयाल पुत्र श्री गुरु दयाल उम्र करीब 47 वर्ष नि0- ग्राम बरीटा थाना लहचूरा जिला झांसी उ0प्र0।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा - 408 जा0फौ0

थाना - लहचूरा जिला झांसी

उक्त आदेश 11/3/22

प्रकीर्ण अद के रूप में दर्ज
रजिस्ट्र है। स्वैच्छित न्यायालय
के पास वापस प्रारब्ध रहने हो।
पत्रावली वास्तु निस्तारण दिनांक
16-3-22 को भेरा हो।

उन्मान पत्रावली

न्यायालय श्रीमान् एफ0टी0सी0 द्वितीय महोदय झांसी

Copy of order forwarded to ASJFC 14th
for information & Necessary Action

एस0टी0सं0-207 सन् 2016

सरकार बनाम हरगोविन्द आदि

धारा-307,504,506 ता0हि0

थाना- लहचूरा जिला झांसी

ता0पेशी-10-03-2022

By Order

Sadar Munsif/Sessions Clerk
Sessions Judge
Jaansi (U.P.)

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

महोदय,

- 1- यह कि प्रकरण उपरोक्त न्यायालय श्रीमान् एफ0टी0सी0 द्वितीय के यहाँ विचारधीन रहने के बावजूद भी सजा को तैयार रहना उक्त कारण से न्याय मिलने में संन्देह पैदा हो गया है। यह कि शासकीय अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार दोहरे द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टचार के सम्बन्ध में श्रीमान् सत्र न्यायाधीश झांसी एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समस्त उच्चधिकारियों से की गई है उक्त शिकायतें विचारधीन है।

- 3- यह कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली से उक्त मुकदमें के अभियुक्त अत्याधिक व्यथित व परेशान हैं।

- 4- यह कि अन्य अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या के कृत्यों की शिकायत मा0 सत्र न्यायाधीश झांसी एवं मा0 उच्च न्यायालय को की गई थी जिनका

हरगोविन्द

3/25

देवीदयाल

8/149

शिकायतों का संज्ञान लेकर मा० न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मा० सत्र न्यायाधीश जनपद ललितपुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया है।

5- यह कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या जी से उक्त समस्त कारणों के चलते मुकदमें में न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त आधारों को पर्याप्त मान न्यायहित में उक्त मुकदमें की पत्रावली एस०टी०सं०- 207/2016 स्वयं के न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरण किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।



दिनांक 10.03.2022


प्रार्थी/अभियुक्तगण

हरगोविन्द

1- हरगोविन्द पुत्र मनीराम उम्र करीब 53 वर्ष नि०- ग्राम हेवतपुरा थाना गरौटा जिला झांसी उ०प्र०।

देवीदयाल

2- देवीदयाल पुत्र श्री गुरु दयाल उम्र करीब 47 वर्ष नि०- ग्राम बरौटा थाना लहचूरा जिला झांसी उ०प्र०।


राहुल कुमार
उरकेर
सं०-18711/2021
जिला एवं सत्र न्यायालय, झांसी
फोन-9516367185

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
झाँसी

सेवा में,

श्री. विम्वर प्रकाश आर्य,
मा०अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
झाँसी

दिनांक: अप्रैल 16, 2022

संख्या 969/जे०ए०-15/2021-22

विषय: श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) द्वारा माह फरवरी 2022 का प्रेषित बिल बाउचर की सत्यप्रतिलिपि का प्रेषण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 04-04-2022 एवं दिनांक 12-04-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री संतोष कुमार दोहरे तत्कालीन सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) द्वारा माह फरवरी 2022 का प्रेषित बिल बाउचर की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.04.2022 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 15.04.2022 को राजकीय अवकाश था । इसलिये वांछित सूचना निर्धारित तिथि तक प्रेषित नहीं की जा सकी है । श्री संतोष दोहरे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) झाँसी द्वारा प्रस्तुत किया गया माह फरवरी 2022 का बिल भुगतान हेतु लम्बित है । श्री दोहरे द्वारा प्रस्तुत किये गये माह फरवरी 2022 विवरण/बिल बाउचर्स की सत्यापित प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(अरुण कुमार सिंह)
प्रभारी अधिकारी(सं०का०)/
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) झाँसी

प्रतिलिपि-

मुख्य कोषाधिकारी झाँसी को पत्र संख्या 25/लेखा०कोषा०झाँसी/2022-23 दिनांक 06-04-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अरुण कुमार सिंह)

प्रभारी अधिकारी(सं०का०)/
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) झाँसी

3/27

2/151

प्रमुख संख्या नं - ९ (संशोधित)

सामान्य सेवाएं प्रपत्र
 वित्तीय विवरण संशोधन चालू वित्त वर्ष - 1
 (वर्तमान आवेदन - ग्यारह प्रपत्र 250-९, 251, 209, 223)

NON PLAN

1. जांचकर्ता का नाम रमेश शर्मा

2. कोषागार का नाम रमेश शर्मा

3. दायक की अवधि काब से 01/03/22 तक तक 03/03/22

4. वि. कोड 108

5. (वि) कोषागार कोड 03

6. दायक पंजी. की क्रम संख्या

7. वाउचर संख्या

8. (स) उप कोषागार का कोड

9. जाओजनागत/आयोजनर/मतदेय/प्राप्तित (जो अनुमति हो सही करें गैर कोड है)

10. लेखाशीर्षक संख्या 13 अंकों का कोड + 17 अंके अंक (14 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 तृतीय शीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 चोरवार शीर्षक)

11. आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम (कम से 13 के अधिकारियों को छोड़कर)

12. आ. वि. अधिकारी का कोड 4217

13. वचन के लिए आहरण हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम सन्तोष कुमार चौधरी

14. अधिकृत का नाम सन्तोष कुमार चौधरी

15. अनुदान संख्या 042

16. सोर्स कोड 1

17. सैक्टर कोड 2

18. बैंक लेखाकार संख्या 01

19. आहरण से जुड़े लेखाशीर्षक (कनेक्टिंग सर्विस सेक) 2014001140401

20. स्वीकृत आदेश संख्या (विशिष्ट आदेशों को प्रतिरिपि भी संलग्न करें)

21. आदेश का दिनांक

22. स्वीकृतकर्ता का पदनाम एवं कार्यालय सन्तोष कुमार चौधरी

लेखाशीर्षक संख्या विवरण की सुधार:

मुख्य लेखाशीर्षक:

उप मुख्य लेखाशीर्षक:

तृतीय शीर्षक:

उपशीर्षक:

चोरवार शीर्षक:

बजट की वर्तमान स्थिति :- (केवल उस स्थिति में भरा जाये जिसमें बजट का आवंटन होना है)

मुगताम का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	घनराशि
1) प्राथमिक प्रत्येक फरवरी 2022 ->	33000.00
2) द्वितीयक प्रत्येक फरवरी 2022 ->	6300.00
3) तृतीयक प्रत्येक फरवरी 2022 ->	440.00
4) चतुर्थक प्रत्येक फरवरी 2022 ->	750.00
कुल राशि	RA = 40,450.00

कुल - चार्ल्स एडवार्ड वॉरन (संशोधक)

आवक मूल का नाम एवं कोड	आवक कुल बजट	भूख विल को शामिल करते हुए कुल व्यय	अवशेष बजट	86 सकल घनराशि (अग्रिम संभाव्यता के बाद)
16 <u>सर्वसाधारण</u>				कटीतियों का कोड सहित विवरण
				1.
				2.
				3.
				77 सम्पूर्ण कटीतियाँ
				89 मुख देव घनराशि 100-771

निर्गत श्रेक का विवरण - (केवल श्रेक द्वारा प्रगताम किये जाने की स्थिति में भरा जाना है)

क्रम सं.	विकास नाम श्रेक निर्गत	श्रेक संख्या	श्रेक की घनराशि	श्रेक निर्गत का दिनांक

सन्तोष कुमार चौधरी
 A.D.G.C. (Cr.)
 न्यायालय A.S.J. No. 4
 जौरी (जयपुर)
 आहरण वितरण अधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर (मुख)

महालेखाकार कार्यालय के प्रयोग हेतु -

स्वीकृत ₹०

अस्वीकृत ₹०

3/28

सन्तोष कुमार चौधरी
 प्रशासनिक अधिकारी
 न्यायालय - जौरी

प्रारूप-1

दिनांक	प्रकरण का विवरण	कृतकार्य	शासक अधिकारी का नाम	न्यायाधीश के हस्ताक्षर	फीस जो देय हो
02/02/22	जमानत प्राप्त एवं 21/1/22 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-369, 366A शान- बरागाँव सुप. प्र. सं. 125/11	बहस	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
02/02/2022	सब परीक्षण सं. 183/2016 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-302, 302A शान- अजयपुर	बहस प्रमाण पर लिखित रूप में	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
03/02/2022	सब परीक्षण सं. 198/2012 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-307, 302A शान- चिरगाँव	बहस प्रमाण लिखित रूप में	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
04/02/2022	जमानत प्राप्त एवं 21/1/22 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-369, 366A ST No 348/11 शान- बरागाँव सुप. प्र. सं. 125/11	बहस (लिखित रूप में)	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
05/02/2022	सब परीक्षण सं. 350/2012 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-56, 7, 8 शान- अजयपुर	बहस प्रमाण एवं लिखित रूप में	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
07/02/2022	सब परीक्षण सं. 135/2017 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-60, 272 शान- बरौनी	बहस सजा पर	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
08/02/2022	सब परीक्षण सं. 226/2015 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-308, 307A शान- नखाला	बहस प्रमाण लिखित रूप में	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
09/02/2022	सब परीक्षण सं. 67/2016 राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-306, 304A शान- मोह	बहस प्रमाण लिखित रूप में	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00
10/02/2022	राज्य वनायक वनायक राज्य धारा-307A शान- कोठाली सुप. प्र. सं. 632/16 ST No. 286/17	बहस नकल फिलॉसोफी संशोधन लिखित रूप में	शासक अधिकारी (फरियादा)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) (चौहदवी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झांसी	1500 = 00

शासक अधिकारी (फरियादा)

सन्तोष कुमार दोहरे
A.D.G.C. (Ch.)
न्यायालय A.S.J. No. 4
झांसी (उप्र)
मो-9415502206

सत्यापित
प्रशासनिक अधिकारी

3/30

8/154

मेघ प्रकाश-अपर

1500 = 13,500

क्र.सं.	दिनांक	प्रकरण का विवरण	कृतकार्य	शास0अधि0 का नाम	न्यायाधीश के हस्ताक्षर	फीस जो देय हो
15	15/02/2022	सब परीक्षण सं- 1304/2014 राज्य वनाभू उद्वेग विभाग धारा-60 एन 272 प्र जाना- अजमेर	बहक लिखित संज्ञा प्री)	अपर जिला न्यायालय	A.D.G.C. (Cr.) A.S.J. No. 8	₹ 100 =
16	19/02/2022	सब परीक्षण सं- 942/2021 राज्य वनाभू- सैफपुर डोड धारा- 207 प्र जाना- अजमेर	बहक प्रमाण जाना प्र लिखित संज्ञा	अपर जिला न्यायालय	A.S.J. No. 8	₹ 1500 =
17	21/02/2022	सब परीक्षण सं- 336/2014 राज्य वनाभू- अजमेर धारा- 302 प्र जाना- उद्वेग	सुनवाई Hg	अपर जिला न्यायालय	A.S.J. No. 8	₹ 1500 =
18	22/02/2022	सब परीक्षण सं- 712/20 राज्य वनाभू- अजमेर धारा- 308 प्र जाना- उद्वेग	सुनवाई Hg	अपर जिला न्यायालय	A.S.J. No. 8	₹ 1500 =
19	23/02/2022	सब परीक्षण सं- 206/22 राज्य वनाभू- अजमेर धारा- 307 प्र जाना- अजमेर	बहक	अपर जिला न्यायालय	A.S.J. No. 8	₹ 1500 =
20	24/02/2022	सब परीक्षण सं- 747/2022 राज्य वनाभू- अजमेर धारा- 304, 377 प्र जाना- अजमेर	सुनवाई Hg	अपर जिला न्यायालय	A.S.J. No. 8	₹ 1500 =
21	25/02/2022	सब परीक्षण सं- 531/2021 राज्य वनाभू- अजमेर धारा- 302 प्र जाना- अजमेर	सुनवाई Hg	अपर जिला न्यायालय	A.S.J. No. 8	₹ 1500 =
22	28/02/2022	सब परीक्षण सं- 227/2011 राज्य वनाभू- अजमेर धारा- 307 प्र जाना- अजमेर	सुनवाई Hg	अपर जिला न्यायालय	A.S.J. No. 8	₹ 1500 =

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि मैंने माह फरवरी में 22 कार्य दिवस का विशेष कार्य किया है। A.S.J. निर्यात की ओर विपल प्रकाश कार्य की अहमदाबाद की अक्रियता मा. उद्वेग न्यायालय, 05 PM, प्रमुख समिति न्याय की की है कि मैंने 23/02/2022, एच. 07/2/22 सं. 18/02/22 सं. 11 दिन के हस्ताक्षर पर 01 पर 20 वि. 08/02/22 को निर्यात की है कार्य हट मैंने स्वयं प्रमाणित किया है कार्य की प्रेष कर सुगतता डाले की है।

1	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने माह फरवरी में 22 कार्य दिवस का विशेष कार्य किया है।	33,000
2	विपल प्रकाश कार्य की अहमदाबाद की अक्रियता मा. उद्वेग न्यायालय, 05 PM, प्रमुख समिति न्याय की की है कि मैंने 23/02/2022, एच. 07/2/22 सं. 18/02/22 सं. 11 दिन के हस्ताक्षर पर 01 पर 20 वि. 08/02/22 को निर्यात की है कार्य हट मैंने स्वयं प्रमाणित किया है कार्य की प्रेष कर सुगतता डाले की है।	6300
3	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने माह फरवरी में 22 कार्य दिवस का विशेष कार्य किया है।	4000
4	विपल प्रकाश कार्य की अहमदाबाद की अक्रियता मा. उद्वेग न्यायालय, 05 PM, प्रमुख समिति न्याय की की है कि मैंने 23/02/2022, एच. 07/2/22 सं. 18/02/22 सं. 11 दिन के हस्ताक्षर पर 01 पर 20 वि. 08/02/22 को निर्यात की है कार्य हट मैंने स्वयं प्रमाणित किया है कार्य की प्रेष कर सुगतता डाले की है।	7500
5	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने माह फरवरी में 22 कार्य दिवस का विशेष कार्य किया है।	40,450

संतोष कुमार दाहरे
A.D.G.C. (Cr.)
न्यायालय A.S.J. No. 4
झाँसी (उप्र)
मो-9415502206

3/32

8/155

प्रेषक

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद

झाँसी ।

विषय

: सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कूटरचित तरीके से पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर कर वेतन भुगतान प्राप्त करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में ।

महोदय

अवगत कराना है कि सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मेरे न्यायालय में दिनांक 04. 02.2022 के उपरान्त से दिनांक 18. 02. 2022 तक अपने पदीय हैसियत के निर्वहन में कोई शासकीय कार्य का निर्वहन नहीं किया गया । उसके द्वारा दिनांक 11. 02. 2022 को जमानत प्रार्थनापत्र सं० 280/ 2022 धर्मेन्द्र कुशवाहा बनाम राज्य सत्र परीक्षण सं० S. T. No. 286/ 2017 में कोई बहस नहीं की गयी जिसका उल्लेख जमानत आदेश में स्पष्ट रूप से किया गया है ।

उक्त अधिवक्ता ने मेरे न्यायालय में उक्त अवधियों में कोई शासकीय कार्य (कृत कार्य) नहीं किया और इस तथ्य को उक्त अधिवक्ता ने स्वयं स्वीकार भी किया है जिसका उल्लेख उसके द्वारा दिनांक 14. 02. 2022 को 1- S. T. No. 226/ 2002 उ०प्र० राज्य बनाम नासिर आदि, 2- S. T. No. 214/ 2013 उ०प्र० राज्य बनाम गन्धर्व सिंह, 3- S. T. No. 207/ 2016 उ०प्र० राज्य बनाम हरगोविन्द, 4- S. T. No. 216/ 2017 संजू आदि व 5- S. T. No 103/ 2018. नन्दू उर्फ नन्द किशोर की पत्रावलियों में स्वयं के द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्रों में भी किया है जिसमें यह कथन किया है कि " इस कारण मेरी शिकायत पर एवं आपके मुझे हटाये जाने बावत पत्र पर जब तक कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी का नहीं आ जाता है, मैं आपके समक्ष बहस करने में असमर्थ हूँ " ।

उक्त अधिवक्ता के द्वारा मेरे न्यायालय में उक्त अवधियों में अपने कतव्यों का निर्वहन न किये जाने के कारण उसके दैनिक कृत कार्य पर मेरे द्वारा दिनांक 04. 02. 2022 के उपरान्त से दिनांक 18. 02. 2022 तक हस्ताक्षर नहीं किया गया जिसका उक्त अधिवक्ता को पूर्ण संज्ञान है, इस तथ्य की उक्त अधिवक्ता को पूर्ण जानकारी थी उसके बावजूद उक्त ने अपने दैनिक कृत कार्य के प्रोफार्मा पर जहाँ पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर का कालम बना हुआ है उस पर दिनांक 07. 02. 2022 से दिनांक 18. 02. 2022 तक न्यायालय की मुहर का उपयोग किया गया और न्यायाधीश के हस्ताक्षर के स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर बनाये । मेरे द्वारा इस सम्बन्ध श्रीमान मुख्य कोषाधिकारी झाँसी को दिनांक 02. 04. 2022 व श्रीमान प्रभारी अधिकारी (सं०का०) / अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) जनपद झाँसी को पत्र प्रेषित किया गया व उक्त अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बिल बाउचर की सत्यप्रतिलिपि की माँग की गयी तब उसके उक्त कृत्य की जानकारी हुई ।

चूँकि उक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने न्यायाधीश की मुहर का गलत

3/33


8/156



प्रयोग किया और न्यायाधीश के हस्ताक्षर के स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर बनाकर सरकारी धन को प्राप्त करने का प्रयास किया है जबकि न्यायाधीश के हस्ताक्षर के कालम में दिनांक 07.02.2022 से पूर्व व दिनांक 18.02.2022 के पश्चात प्रत्येक जगह न्यायाधीश के हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर अंकित है ।

अतः उक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करें ।

प्रार्थी


(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक: 19.04.2022

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग के तहत गठित), झाँसी

संलग्नक:-

प्रभारी अधिकारी (सं०का०) / अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) झाँसी से प्राप्त बिल बाउचर की स्त्यप्रतिलिपि की छायाप्रति (05) ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
सेवा में श्रीमान जंनपद न्यायाधीश
झाँसी ।
विषय न्यायालय परिसर में सुरक्षा से खिलवाड़ करने व आपराधिक षडयन्त्र कारित करने के सम्बन्ध में ।
महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा अभियुक्त व अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर शुक्ला का आपराधिक इतिहास महोदया को प्रस्तुत किया गया था तथा श्री प्रमोद शिवहरे एडवोकेट के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 10. 12. 2021 को पत्र प्रेषित किया गया था । रमेश यादव के कार्य, व्यवहार व आचरण के बावत भी श्रीमान जी को अवगत कराया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त मेरे न्यायालय में कार्यरत श्री संतोष कुमार दोहरे तत्कालीन सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के कार्य, व्यवहार व आचरण के बावत मेरे द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी झाँसी को दिनांक 07. 02. 2022 व दिनांक 15. 02. 2022 को पत्र प्रेषित किया गया था और उसकी प्रति जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) झाँसी को दी गयी थी तथा श्रीमान जी को भी सूचना प्रेषित की गयी थी किन्तु उक्त किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई , जिससे उक्त समस्त अधिवक्ताओं का मनोबल बहुत अधिक बढ़ गया है ।

उक्त अधिवक्ताओं का न केवल मनोबल बढ़ा हुआ है बल्कि उन्हें संरक्षण भी प्राप्त है कि जिस कारण उक्त समस्त अधिवक्तागण व 100- 150 अज्ञात अधिवक्ता न्यायालय परिसर में शामियाना लगाकर आज दिनांक 22. 02. 2022 को धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं । मेरी सुरक्षा से खुले आम खिलवाड़ किया जा रहा है जिसका सर्वे सर्वा मुखिया श्री संतोष कुमार दोहरे है जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहा है बल्कि चन्द्रशेखर शुक्ला , प्रमोद शिवहरे, रमेश यादव के साथ मिलकर षडयन्त्र रच रहे हैं और यह आपराधिक षडयन्त्र न्यायालय परिसर में खुले आम रचा जा रहा है । दिनांक 21. 02. 2022 को मेरे द्वारा अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में श्रीमान जिला अधिकारी झाँसी , श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी, श्रेत्राधिकारी (पुलिस) सदर व प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद को फोन के द्वारा सूचित किया जा चुका है ।

यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कारित होती है तो उक्त समस्त अधिवक्तागण व अन्य जिम्मेदार सफेदपोश व्यक्ति दायी होंगे जिनके नाम समय आने पर स्पष्ट कर दिये जायेंगे ।

सूचना सादर प्रेषित ।

दिनांक: 22. 02. 2022

भवदीय

~~18/02/2022~~
22.02.2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान जिला अधिकारी महोदय झाँसी ।
2. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी ।
3. श्रेत्राधिकारी (पुलिस) सदर झाँसी ।
4. प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद झाँसी ।

4

8/158

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झांसी ।

विषय

न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर न्यायिक कार्य बाधित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा अपने पत्र दिनांकित 22. 02. 2022 के द्वारा श्रीमान जी को अगवत कराया गया था कि अधिवक्तागण न्यायालय परिसर में शामियाना लगाकर धरना- प्रदर्शन कर रहे हैं ।

आज दिनांक 24. 02. 2022 को जब मैं न्यायालय कक्ष में मौजूद था और न्यायालय में कार्यरत कर्मचारीगण में श्री बाल्मीकि साहू (पेशकार), श्री अवध किशोर (कोर्ट मोहररिंर), श्री देवेश श्रीवास्तव सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक), श्री मोहित शर्मा (अर्दली) व श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) मौजूद थे और समय लगभग 11:00 बजे मेरे द्वारा श्री मोहित शर्मा (अर्दली) से दीवानी अपील संख्या 51/ 2019 ओमप्रकाश बनाम सन्तोष कुमार में आवाज लगवायी गयी लगभग उसी समय उक्त धरना प्रदर्शन में शामिल हुये व्यक्तियों द्वारा शोर- शराबा व नारे बाजी की जा रही थी, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ ।

न्यायालय परिसर में शामियाना लगाकर धरना- प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय कार्यावधि के दौरान नारेबाजी करने से उत्पन्न शोर- शराबे के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित कर न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित किया गया है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

भवदीय



(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक: 24. 02. 2022

न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट झांसी

क्र. संख्या 1/2022

थाना प्रेम नगर

थाना 110/220/2022

जिला झांसी

सरकार बनाम अरुण कुमार

आदेश अन्तर्गत धारा 111 जा0 फौ0

थाना प्रभारी प्रेमनगर ने चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 110/220/2022 दिनांक 26-01-2022 के द्वारा यह अवगत कराया है कि अरुण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन निवासी 208 आजाद नगर कालोनी नैनागढ़ थाना प्रेमनगर जनपद झांसी उम्र 29 वर्ष। अभियुक्त उपरोक्त एक अपराधिक एवं दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसके भय व आतंक से आम जनता में डर है व भयभीत है। इसके विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट लिखाने एवं न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं। संगीन घटना घटित कर शान्ति व्यवस्था भंग कर सकता है। इसका स्वतंत्र रहना जनहित में न्यायोचित नहीं है। इसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना तत्काल आवश्यक है। अतः अभियुक्त को नेकचलनी हेतु अधिक से अधिक समय तक के लिए भारी से भारी जमानते/मुचलको से पाबन्द किया जाना उचित होगा।

अतः मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट थाना प्रेमनगर की चालानी रिपोर्ट के आधार पर एतद् द्वारा विपक्षी को निर्देशित करता हूँ कि वह दिनांक 14-02-2022 को नैर न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर कारण बताये कि उसे 03 वर्ष तक की अवधि के लिए नेकचलनी बनाने रखने हेतु ₹100,000/- की पृथक-पृथक दो प्रतिभूमियाँ एवं इतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत निजी बन्धपत्र निष्पादित किये जाने हेतु क्यों न आदेश दिया जाये।

दिनांक 02-02-2022

अपर नगर मजिस्ट्रेट
झांसी।

प्रतिलिपि- थानाध्यक्ष प्रेमनगर जिला झांसी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल नोटिस विपक्षी पर व जातखास तामील कराकर नियत तिथि के पूर्व इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर नगर मजिस्ट्रेट
झांसी।

अरुण कुमार

दिनांक घटना वि-न.वि-न

समय वि-न.वि-न

दिनांक सूचना 20.01.2022

समय 19/25

घटना स्थल वि-न.वि-न

वादी - प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला थाना प्रेमनगर जनपद झांसी

प्रतिवादी - अरुण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन नि.0.206 आजाद कॉलोनी मेनामद थाना प्रेमनगर झांसी उम्र 31 वर्ष

सेवा मे,

श्रीमान अपर नगर मजिस्ट्रेट

जनपद झांसी

श्रीमान जी,

निवेदन है कि अरुण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन नि.0.206 आजाद कॉलोनी मेनामद थाना प्रेमनगर झांसी उम्र 31 वर्ष का मूल निवासी है। अभियुक्त उपरोक्त एक आपराधिक एवं दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसके अतिरिक्त से ग्राम जनता में डर है व भयभीत हो इसके विरुद्ध थाना पर रिपोर्ट लिखाने एवं न्यायालय में सहाय्यी देने से डरते है। समीन घटना घटित कर शान्ति व्यवस्था भंग कर सकता है। इसका स्वतंत्र रहना जनहित में न्यायोचित नहीं है। इसके विरुद्ध निरोधान्मक कार्यवाही किया जाना निवृत्त आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अरुण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन नि.0.206 आजाद कॉलोनी मेनामद थाना प्रेमनगर झांसी उम्र 31 वर्ष का चालान अन्तर्गत धारा 110 जाओफाँ0 में न्यायालय किया जा रहा है। निवेदन है कि अधिक से अधिक धनराशि के जमानत / मुचलके से पाबन्द करने की कृपा करे।

चालानी रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

(राजेश कुमार शुक्ला)

प्रभारी निरीक्षक

थाना प्रेमनगर झांसी

(राजेश कुमार शुक्ला)

प्रभारी निरीक्षक

थाना प्रेमनगर झांसी

PHO-682410515

